

FORM - 2B
[see rule 40B (2)]

APPOINTMENT OF COUNTING AGENT

Election to Mayor from Municipal Corporation..... Or election to member from
Ward Number..... of Municipal Corporation.....

To
The Returning Officer/Presiding Officer,

I _____ a candidate/** the election agent of
_____ who is a candidate at the above election hereby
appoint the following persons as my/his** counting agents to attend the counting of votes at
_____.

Name of the Counting Agent

Address of the Counting Agent

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- etc.

Place _____
Date _____

Signature of Candidate/
Election Agent**

We agree to act as such Counting Agents.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- etc.

Place _____
Date _____

Signature of the Counting Agents

DECLARATION OF THE COUNTING AGENTS

(To be signed before the Returning Officer/Presiding Officer)

We hereby declare that at the above election, we shall not do anything forbidden under sub-sections (1) and (2) of section 23 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), which we have read/has been read over to us.

1
2
3
4
5
6
etc.

Place _____

Signature of Counting Agents

Date _____

Signed before me

Signature of the Returning Officer/
Presiding Officer

* - Appropriate particulars of the Election to be inserted.

** - Strike off the inappropriate alternative.

Section 23 – (1) Every officer or clerk, agent or other person who performs any duties in connection with the recording or counting votes at an election shall maintain an aid in maintaining the secrecy of the voting and shall not (except for some purpose authorized by or under any law) communicate to any person any information calculated to violate such secrecy.

(2) Any person who willfully acts in contravention of the provisions of this section shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding three months, or with fine, or with both."

प्ररूप – 2ख
[देखिए नियम 40(ख)(2)]

गणना अभिकर्ता की नियुक्ति

नगर निगम के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगमकी
वार्ड संख्या से सदस्य का चुनाव ।

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी,

.....

.....

मैं..... उम्मीदवार/**निर्वाचन
अभिकर्ता जो उपरोक्त निर्वाचन में उम्मीदवार है, इसके द्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों को
..... में मतगणना पर हाजिर रहने के लिए मुझे/उसके **गणना अभिकर्ता के रूप में
नियुक्त करता हूँ।

गणना अभिकर्ता का नाम

गणना अभिकर्ता का पता

1

2

3

4

5

6

इत्यादि

स्थान

तिथि

उम्मीदवार/गणना अभिकर्ता के हस्ताक्षर**

हम ऐसे गणना अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हैं।

1

2

3

4

5

6

इत्यादि

स्थान

तिथि

गणना अभिकर्ता के हस्ताक्षर

गणना अभिकर्ताओं की घोषणा

(रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं)

हम, इसके द्वारा, घोषणा करते हैं कि उपरोक्त निर्वाचन में, हम हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1964 (1994 का 16) की धारा 23 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन निषिद्ध कुछ भी नहीं करेंगे। जिसे हमने पढ़ लिया है/हमें पढ़ कर सुना दिया गया है।

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

इत्यादि

स्थान

गणना अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तिथि

मेरे सामने हस्ताक्षर किये गये

रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

*निर्वाचन के समुचित ब्योरे निर्दिष्ट किए जायें।

**अनुपयुक्त विकल्प काट दें।

धारा 23.—(1) प्रत्येक अधिकारी अथवा लिपिक, अभिकर्ता अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो किसी चुनाव में मतों की रिकार्डिंग अथवा गणना करने के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और किसी व्यक्ति को ऐसी गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए संगणित कोई सूचना (किसी विधि द्वारा अथवा के अधीन प्राधिकृत कुछ प्रयोजनों के सिवाय) नहीं भेजेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो इस धारा के उपबन्धों की उल्लंघन में जान बूझकर कार्य करता है, तो वह या तो तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए कारावास अथवा जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। **।